

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

53/2021
24-8-2021

मेधराज उर्फ प्रधान पुत्र रामनारायण मीणा निवासी ग्राम-सुरेली तहसील उनियारा
जिला टोंक राज०

-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार उप तहसील बनेठा जिला- टोक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 16-7-2021 पत्रावली
सं० 1032/2021

उपस्थिति : (1) श्री लादूलाल यादव अपीलान्ट
(2) श्री सै० मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 22-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 16-7-2021 के द्वारा अपीलान्ट को चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2184/1298 में से रकबा 0.04 है० वाके ग्राम सुरेली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से वेदखल करने 16/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त होना चाहिए।



8


अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण वाली जमीन के नजदीक के खातेदारों के बयान लिये बिना व बिना मोकें पर गये निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा पेनल्टी राशि भी जमा करवादी है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 16-7-2021 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2184/1298 रकबा 0.04 है० बाके ग्राम सुरेली तह० उनियारा पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया था किन्तु अपीलान्ट बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई सबूत साक्ष्य पेश नहीं किये। नायब तहसीलदार द्वारा भ्रमण के दौरान शिकायतों के माध्यमजर अपीलान्ट को अतिक्रमण नहीं करने बाबत पाबन्द किया था किन्तु उसके द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा। दिनांक 22-3-2021 को हल्का पटवारी व गिरदावर ने भी मौके से उसका अतिक्रमण हटवा दिया था किन्तु अतिचारी ने अतिक्रमण हटाने का दिखावा कर पुनः मौके पर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट चरागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 16-7-2021 यथावत रखा जाता है। रथगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक